न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 481/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा : 88 आर.टी.ए.

1. हरबन्स सिंह पुत्र वकील सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. कलवन्त सिंह पुत्र वकील सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. सुखदीप सिंह पुत्र वकील सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादीगण

बनाम्

1. वकील सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. गुरमीत कौर पुत्री वकील सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा थेडी तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. **श्री कैलाश कुमार सिंवल — अधिवक्ता वादी**
2. **श्री बंटूश बिश्नोई — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2**

निर्णय

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 वकील सिंह के नाम से चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 38/38 ज.स. 2071—2074 जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज 1/3 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन व इसी चक के खाता संख्या 86/47 जमाबंदी

सम्वत 2070–2073 में 1721/6629 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि व चक 14 एमकेएस के खाता संख्या 155/58 जमाबंदी संवत 2070–2073 में 1/4 हिस्सा नहरी कृषि भूमि व ग्राम 21 एच पटवार हल्का 15 एच तहसील अनूपगढ में जमाबंदी सम्वत 2076–2079 जमाबंदी 2075 वर्ष 2018 से स्थाई के खाता संख्या 32/28 खाता प्रीतम सिंह आदि में 1/4 हिस्सा अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने दावा पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण कि बहिन गुरमीत कौर ने अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाए। तहसील संगरिया के चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 38/38 ज.स. 2071–2074 जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज 1/3 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन व इसी चक के खाता संख्या 86/47 जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में 1721/6629 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि वादीगण के व चक 14 एमकेएस के खाता संख्या 155/58 जमाबंदी संवत 2070–2073 में 1/4 हिस्सा नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 हरबंश सिंह के नाम दर्ज की जावे एवं तहसील अनूपगढ के ग्राम 21 एच पटवार हल्का 15 एच तहसील अनूपगढ में जमाबंदी सम्वत 2076–2079 जमाबंदी 2075 वर्ष 2018 से स्थाई के खाता संख्या 32/28 की कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वकील सिंह के नाम दर्ज की जाए। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 वकील सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 गुरमीत कौर पेश हुए। दिनांक 20.12.2023 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त बंटवारा स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा त्याग करना स्वीकार किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

वाद पर गौर किया गया। प्रश्नगत भूमि वकील सिंह की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 वकील सिंह के मुताबिक वकील सिंह की वंशावली निम्न प्रकार से हैः–

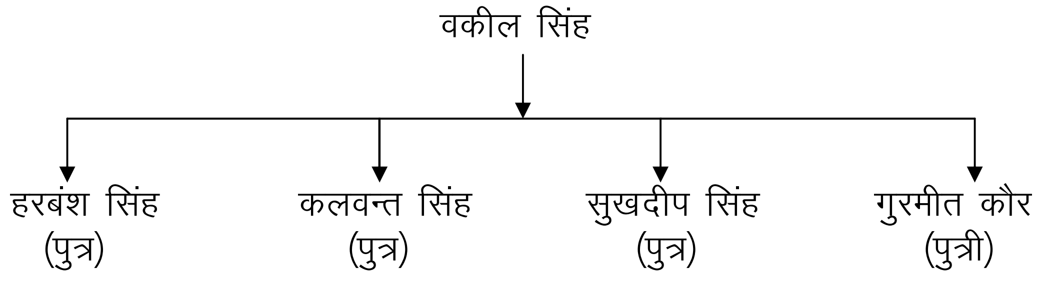

प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का जन्म से हिस्सा है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बंटवारा एवं वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा किया गया हक त्याग विधिसम्मत है। अतः वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत

स्वीकार किया जाता है। वाद में दर्ज तहसील संगरिया के चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 38/38 ज.स. 2071–2074 जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज 1/3 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन व इसी चक के खाता संख्या 86/47 जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में 1721/6629 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि व चक 14 एमकेएस के खाता संख्या 155/58 जमाबंदी संवत 2070–2073 में से प्रतिवादी संख्या 1 वकील सिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा उसके हिस्से की उक्त चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 38/38 ज.स. 2071–2074 जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज 1/3 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन व इसी चक के खाता संख्या 86/47 जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में 1721/6629 हिस्सा नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि वादीगण के नाम बराबर हिस्सा में व चक 14 एमकेएस के खाता संख्या 155/58 जमाबंदी संवत 2070–2073 में 1/4 हिस्सा नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 हरबंश सिंह के नाम हस्तांतरण की जाती है। वाद में दर्ज तहसील अनूपगढ के ग्राम 21 एच पटवार हल्का 15 एच तहसील अनूपगढ में जमाबंदी सम्वत 2076–2079 जमाबंदी 2075 वर्ष 2018 से स्थाई के खाता संख्या 32/28 की भूमि में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। तहसीलदार भूमि के रहनमुक्त हो जाने के पश्चात आदेश के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2023 को जारी किया गया। अलग से डिक्री जारी करने की जरूरत नहीं है। आदेश को ही डिक्री समझा जाएगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया